लापता व्यक्ति का शव तालाब में उतराता मिला

[illegible] तालाब में [illegible] मिला। पुलिस ने शव [illegible] को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। [illegible] दिन से लापता था। 12 फरवरी को [illegible] ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। [illegible] 45 वर्षीय [illegible] निवासी मुरादाबाद नई बस्ती, [illegible] के रूप में हुई। [illegible] 10 फरवरी को एक किसी लाई [illegible] होने के लिए घर से निकला था। तब से गायब चल रहे थे। [illegible]

जनपद में बनेंगे चार एलिवेटेड प्वाइंट

जाम से मिलेगी मुक्ति, दो हाईवे एवं एक एक्सप्रेस वे से होगा कनेक्ट, तैयारी आरंभ

एलिवेटेड प्वाइंट का काल्पनिक चित्र। जागरण

जागरण संवाददाता, बिजनौर : जनपद में गुरुवार से दो राष्ट्रीय राजमार्गों और निर्माणाधीन हरिद्वार-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए चार एलिवेटेड प्वाइंट (जंक्शन प्वाइंट) बनाए जाएंगे। इन प्वाइंट के बनने के बाद बिजनौर, किरतपुर, नजीबाबाद, नहटौर और धामपुर क्षेत्र में प्वाइंट बनाया जाएगा। यह प्वाइंट बनने से जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, इन प्वाइंट पर [illegible] घटेंगे। यहां वाहनों की रफ्तार बढ़ाने में भी सहायता होगी।

मिड-रोड़ी और पनेला-ढांढल राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके अलावा हरिद्वार से बिजनौर से गुजर रहे हरिद्वार-गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होगा है। एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जमीन मूल्य का अधिग्रहण शुरू करने से पहले अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जा रहा है। ये तीनों मार्ग किरतपुर मार्ग पर बीकेएस के साथ बिजनौर-नजीबाबाद मार्ग पर ग्राम बाकरी, किरतपुर-नहटौर मार्ग पर [illegible] और नहटौर-धामपुर मार्ग पर [illegible] को कनेक्ट होंगे। इन मार्गों पर यातायात के संचालन के लिए एनएचएआई ने जनपद में एलिवेटेड प्वाइंट (जंक्शन प्वाइंट) बनाए जाने का निर्णय लिया है। इन प्वाइंट के बनने के बाद बिजनौर शहर सहित बड़े शहर नहीं से पार वाहनों और लंबी दूरी के भारी वाहनों को डायवर्ट भेजा ही जाएगा। बिजनौर, किरतपुर, नजीबाबाद, नहटौर और धामपुर क्षेत्र में जाम से मुक्ति मिलेगी। वहां दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

क्या है एलिवेटेड प्वाइंट : एलिवेटेड प्वाइंट का तात्पर्य है जहां दो या दो से अधिक राजमार्ग मुख्य सड़कें आपस में मिलती हैं, कटती हैं या फिर जुड़ती हैं। यह यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों की एक-दूसरे से गुजरने, रुकने बदलने अथवा मोड़ों की सुविधा प्रदान कराता है। यहां एलिवेटेड प्वाइंट सुरक्षित यातायात संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है।

मुख्यमंत्री जी, मुक्त करा दीजिए तालाब की भूमि

बेहट सूत्र, जागरण संवाद : ग्राम पंचायत [illegible] किसानों ने कुछ लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर तालाब की भूमि मुक्त कराने की मांग की है।

क्षेत्रीय क्षेत्र के कुछ निवासियों [illegible] किसानों के मुताबिक गांव [illegible] मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को शिकायत पत्र भेजकर बताया कि 29 नवंबर 2023 को तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत तहसील प्रशासन से की गई थी। तहसील प्रशासन ने संज्ञान लेकर पूरे तालाब क्षेत्र की अवैध निर्माण कराते हुए एक घर और दुकान का सत्यापन किया लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही आरोपितों ने पुनर्निर्माण शुरू कर दिया।

पीड़ित ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। इस संबंध में तहसीलदार [illegible] ने बताया कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[illegible] के साथ महिला [illegible] ने सुबह ही [illegible] कार्यालय के सामने [illegible]

स्वच्छता वार्ड प्रतियोगिता के लिए शुरू किया सफाई अभियान

बेहट सवाददाता, जागरण संवाद : [illegible] स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के अंतर्गत स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें स्वच्छता कर्मचारियों की प्रोत्साहित करने और आम जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुकवा, [illegible] व तालाबला अभियान शुरू किया गया। पहले दिन नगर क्षेत्र की टीम ने तालाबला अभियान चलाया। इसके तहत पेयजल का स्टैंड, डिवाइडर मध्यवर्ती बगीचा, बिना नोटिस, इंटर कॉलेज में डिस्पोजल व ताबाजों को तालाबला करते हुए स्वच्छ सफाई की गई। परिषद सफाई कर्मियों ने एवं कालिज परिसर में सफाई अभियान चलाया गया।

इसी तरह [illegible] ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता-2026 शुरू की गई है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। इसमें स्वच्छता गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं आकर्षक तथा पारदर्शी के लिए वार्डों को चयनित किया गया है। सभी दिन अलग-अलग वार्डों में सफाई अभियान चलाया जाएगा।

पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा श्रमिक का शव, की अंत्येष्टि

भाकियू ने वन क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मुआवजा जल्द नहीं मिलने पर दी धरना शुरू करने की चेतावनी

[illegible] सिंह

बेहट सूत्र, जागरण संवाद : जमालपुर [illegible] निवासी का शव के पास [illegible] में शुक्रवार को [illegible] द्वारा कुचलकर मारे गए [illegible] 45 वर्षीय [illegible] का शव शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। [illegible] के बाद शुक्रवार को [illegible] अंतिम संस्कार किया गया।

गत 4-5 फरवरी [illegible] में शुक्रवार को [illegible] अपने खेत के पास लालूसेन [illegible] को [illegible] हाथी ने कुचलकर मार डाला था। [illegible] जाने पर [illegible] 30 मिनट तक [illegible] को [illegible] का प्रयास किया था। बाद में आग जलाई। [illegible] बुझ गया।

अधिकारी की सूचना, शव की पोस्टमार्टम : [illegible] के बाद से शुक्रवार को [illegible] के घर कोई पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा।

गुरुवार की घटना के बाद वन पुलिस व वन क्षेत्राधिकारी [illegible] थे। शुक्रवार को [illegible] के [illegible] मौके पर पहुंचे। [illegible] कर्मचारियों के साथ पहुंचे, उन्होंने परिवार का हाल जाना। जिले की अधिकारी के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने मृतक की पत्नी व परिवार से बातें की और चेतावनी दी कि यदि परिवार को तत्काल मुआवजा नहीं मिलता, तो भारतीय किसान यूनियन [illegible] करेगी। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के [illegible] के [illegible] मौके पर [illegible] के [illegible] कार्यालय पर वन क्षेत्राधिकारी अनिता सिरोहर को ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने मांग की कि वन की सीमा पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग और पशुओं के देखने के लिए टावर लगाई जाए, जिससे किसानों को जान और उनकी फसलों को राहत मिल सके।

[illegible] के बाद [illegible] को [illegible] के [illegible] ज्ञापन सौंपते [illegible]

[illegible] के बाद [illegible] पर [illegible] ज्ञापन सौंपते [illegible]

तमंचे के साथ गिरफ्तार

सुल्तानपुर : [illegible] थाना के ईदगाह पुलिस ने [illegible] युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसका चालान किया। सूचना को सत्य पाए निरीक्षक [illegible] को सूचना मिली कि एक व्यक्ति [illegible] तमंचा लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर उन्होंने [illegible] पर व्यक्ति को रोका और उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक तमंचा और [illegible] बरामद हुआ। पकड़े गए युवक ने अपना नाम [illegible], निवासी ग्राम [illegible], थाना [illegible] बताया। पुलिस ने युवक का [illegible] एक्ट के तहत चालान किया।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut
[NAAC ACCREDITED with A++ Grade]

सूचना

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न विभागों में फर्नीचर की आपूर्ति एवं कार्य स्थापित करने हेतु जैम बिड संख्या GEM/2026/B/7253511 दिनांक 13.02.2026 के आमंत्रण हेतु अन्तिम तिथि 06.03.2026 समय 21:00 बजे तक है। बिड असिस्टेंट

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी
उत्तर प्रदेश अशासकीय राज्य विश्वविद्यालय
विज्ञापन संख्या–2 / 2025

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रॉस्पेक्टस मेरा से पेमेंट गेटवे के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 01–03–2026 से 10–04–2026 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध सम्बन्धित पोर्टल के लिंक https://mgkvpsec.samarth.edu.in/ के द्वारा आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदन की सम्पूर्ण विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

पत्रांक : मुकु/अ०[illegible] वाराणसी, दिनांक 20 फरवरी, 2026

पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला आठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बेहट सूत्र, जागरण संवाद : [illegible] एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आठ [illegible] के खिलाफ [illegible] मुकदमा दर्ज किया है। [illegible] पूर्व सैनिक [illegible] को [illegible] अस्पताल से [illegible] के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

[illegible] के घायल होने के बाद गांव निवासी [illegible] से [illegible] जांच [illegible] थे। आरोप है कि इस [illegible] को [illegible] चाहते थे। [illegible] को [illegible] में [illegible] के [illegible] हमलावरों ने [illegible] से [illegible] कर [illegible] हमलावर [illegible] गए। [illegible] ने [illegible] के नाम से [illegible] दर्ज कराई है। एसओ विनय कुमार ने विधिक कार्रवाई की पुष्टि की है।

[illegible]

डीएम ने ग्राम चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

बेहट सूत्र, जागरण संवाद : [illegible] : गांव [illegible] में [illegible] पूर्व [illegible] चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने एडीओ पंचायत को पेंशन बीपीएल, [illegible] का [illegible] करने, साथ ही [illegible] किसी [illegible] का [illegible] जांच कर [illegible] तक [illegible] के [illegible] ग्रामीणों को देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने [illegible] कार्यालय निरीक्षण भी किया।

शुक्रवार को चौपाल में बोलते हुए जिलाधिकारी [illegible] ग्रामीणों से संबंधित [illegible] की जांच मिलने के [illegible] में [illegible] [illegible] के [illegible] हमलावरों ने [illegible] के [illegible] उन पर हमला कर दिया। हमले में [illegible] के हाथ और पैर को [illegible] चोट पहुंची। [illegible] को देखकर हमलावर [illegible] गए। [illegible] ने [illegible] के नाम से [illegible] दर्ज कराई है। एसओ विनय कुमार ने विधिक कार्रवाई की पुष्टि की है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701, ईमेल– cobznsam@pnb.co.in, cobijnore@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (डी) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लैनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 17.03.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः कासिमपुर गढ़ी** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमार, **गारन्टरः** श्री शादाब खान पुत्र मासी खान।	बंधक आवासीय मकान स्थित ग्राम– सीरवासुचंद परगना अफजलगढ़, तहसील धामपुर, जिला– बिजनौर, कुल माप क्षेत्रफल 55.28 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमान) बही नं0 01, जिल्द नं0 10741, पेज नं0 97 से 124, क्र0सं0 13274, दिनांक 04.09.2017, सब–रजिस्ट्रार ऑफिस धामपुर, जिला– बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः– पूर्वः विक्रेता का मकान, पश्चिमः 42 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः ठाकुर रमवीर सिंह का मकान, दक्षिणः शिव मंदिर की आराजी।	(ए) 12.08.2024 (बी) रू0 18,98,625.08 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 20,17,496/- रू0 2,01,749.60 रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
2	**शाखा अफजलगढ़, बिजनौर** मैसर्स अग्रवाल मसाले, प्रोपराइटर द्वारा (ऋणी फर्म), श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल (प्रोपराइटर), श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण (गारन्टर/बंधककर्ता)।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला किला कस्बा एवं परगना– अफजलगढ़, तहसील– नगीना, जिला–बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण), कुल माप क्षेत्रफल 14.00 वर्ग मीटर, बही नं0 01, जिल्द नं0 1175/1273, पेज नं0 402/313–316, क्र0सं0 3903, दिनांक 27.07.1999, सब–रजिस्ट्रार ऑफिस नगीना, जिला– बिजनौर (उ0प्र0)। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः– उत्तरः गोपी चन्द का मकान, दक्षिणः सुभाष कुमार एवं पुरण सिंह ध्यानी की दुकान, पूर्वः नागेन्द्र कुमार वर्मा की दुकान, पश्चिमः गली।	(ए) 24.04.2023 (बी) रू0 **18,17,228.93** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 12,65,000/- रू0 1,26,500/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः सियोहारा, बिजनौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, श्रीमती रफत नाज़रीन पत्नी श्री जरीफ अहमद **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय मकान स्थित मौहल्ला– हिन्दू चौधरियन कस्बा एवं परगना सोहरा, तहसील धामपुर, जिला– बिजनौर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 117.90 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री अकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद), बही नं0 01, जिल्द नं0 7738, पेज नं0 251–296 क्र0सं0 19217 दिनांक 29.11.2012 पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः– पूर्वः शौनाथ सिंह का मकान, पश्चिमः नगर पालिका रोड़, उत्तरः नगर पालिका रोड़, दक्षिणः अब्दुल हसन का मकान।	(ए) 16.12.2024 (बी) रू0 **8,72,733.28** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 21,10,000/- रू0 2,11,000/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वारा रोड** श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री राजपाल सिंह **(सह–ऋणी)**, श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री सुनील दत्त शर्मा **(गारन्टर)**, श्रीमती विमल गुप्ता पत्नी श्री नरेश चन्द गुप्ता **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय मकान स्थित आदर्श नगर, बी–ब्लॉक, मौजा– तातरपुर लालू, परगना एवं तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 48.04 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा, बही नं0 1, जिल्द नं0 8229, पेज नं0 337–380, क्र0सं0 5207, दिंाक 05.06.2017 पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः– पूर्वः रोहताश का मकान, पश्चिमः मोहन लाल का मकान, उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः विमल गुप्ता का मकान।	(ए) 25.11.2024 (बी) रू0 13,54,187.95 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 13,19,200/- रू0 1,31,920/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः कोतवाली** श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री अरूण कुमार पुत्र श्री शव राम सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित ए/11, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), परगना एवं तहसील– नजीबाबाद, जिला– बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 199.50 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 10041, पेज नं0 1 से 34, क्र0सं0 5697, दिनांक 30.07.2020, सब–रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला– बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः– पूर्वः गुलाब सिंह का मकान, पश्चिमः रमेश चन्द्र का मकान, उत्तरः कृपाल एवं लखन का मकान, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 14.08.2024 (बी) रू0 10,27,749/– + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 25,00,000/- रू0 2,50,000/- रू0 30,000/-	ज्ञात नहीं
	ई–नीलामी दिनांक 27.03.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
6	**शाखाः जलालाबाद** श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह **(उधारकर्ता/बंधककर्ता)** श्री सुमित करकेट्टा पुत्र श्री इसिडोर करकेट्टा **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहजहांपुर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.), कुल क्षेत्रफल 61.30 वर्ग मीटर, (श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11477, पृष्ठ संख्या 365–378, क्रमांक 6629, दिनांक 25.05.2023 को उप–पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः पवन कुमार का मकान, पश्चिमः रोशन सिंह का मकान, उत्तरः राजेंद्र का मकान, दक्षिण+ 8 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 06.09.2025 (बी) रू0 9,40,274.99 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 23.08.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 8,08,350/- रू0 80,835/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
7	**शाखाः जलालाबाद** श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह **(ऋणी एवं बंधककर्ता)**, ग्राम– अहमदपुर सादात, जोगीरामपुरी, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला– बिजनौर, (उ0प्र0)– 246763	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा संख्या 382, स्थित ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। कुल क्षेत्रफल 86.25 वर्ग मीटर (श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11737, पृष्ठ संख्या 85–96, क्रमांक 15829, दिनांक 06.12.2023 को उप–पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनुप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 25.09.2025 (बी) रू0 10,25,754.14 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 10.09.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 9,99,600/- रू0 99,960/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
8	**शाखाः जलालाबाद** श्री विशाल पुत्र श्री बाबूराम **(उधारकर्ता/ बंधककर्ता)**। श्री बाबूराम पुत्र श्री होरी सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति, खसरा संख्या 144 का भाग स्थित, ग्राम जलालपुर गूजर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। कुल क्षेत्रफल 41.82 वर्ग मीटर (श्री विशाल पुत्र श्री बाबूराम के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11485, पृष्ठ संख्या 85–98, क्रमांक 6871, दिनांक 30.05.2023 को उप–पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः आराजी मैनपाल, पश्चिमः आराजी अशोक, उत्तरः 7 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः आराजी हेमराज।	(ए) 07.10.2025 (बी) रू0 10,14,720.68 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 28.09.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 12,86,050/- रू0 1,28,605/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।
1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई–नीलामी के नियम और शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी